

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 78/14

संस्थित दिनांक-05.02.14

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

बंटी उर्फ वीरपाल पुत्र कोमल परिहार

उम्र 36 साल, निवासी दबोह जिला भिण्ड म०प्र०अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 25.01.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 304 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 02.12.13 को रात 2:20 बजे रेस्ट हाउस पुलिया के पहले मोड़ पर डंफर क्रमांक एम०पी०-07 जी०ए०-4194 सार्वजनिक स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को पलट कर उसमें सवार अरुण की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अजमेरसिंह दिनांक 02.12.13 को मेहगांव जा रहा था। डंफर क्रमांक एम०पी०-07 जी०ए०-4194 स्योढा तरफ से आया जिसमें वह बैठकर जा रहा था। उक्त डंफर को आरोपी बंटी चला रहा था जिसने तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर रेस्ट हाउस की पुलिया के मोड़ पर पलट दिया जिससे अरुण परिहार की मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्त को भी चोटें आईं। उक्त आशय की सूचना से मार्ग कायम किया। मार्ग जांच दौरान शव परीक्षण कराया गया, कथन लिए गए, जांच उपरांत अप०क्र०-284/13 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1-क्या मृतक अरुण परिहार की सड़क दुर्घटना में दिनांक 02.12.13 को मृत्यु कारित हुई थी ?

2.क्या अभियुक्त ने दिनांक उसने दिनांक 02.12.13 को रात 2:20 बजे रेस्ट हाउस पुलिया के पहले मोड़ पर डंपर क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0-4194 सार्वजनिक स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

3.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर पलट कर उसमें सवार अरुण की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी अजमेर अ0सा0 1, रामशंकर अ0सा0 2, जगदीश अ0सा0 3 अवनीश अ0सा0 4, डा0 आर0 विमलेश, छोटे राजा अ0सा0 6, पवनसिंह अ0सा0 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 //

6. फरियादी अजमेर अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 26.09.14 के 8-9 महीने पहले की सुबह करीब 4 बजे की है। वे घटना वाले दिन डंपर में बैठकर मेहगांव जा रहे थे। डंपर में चालक व हैलपर भी था। मौ में एक पुल पड़ता है डंपर वहां पर पलट गया जिससे अरुण नाम के व्यक्ति, जो डंपर में हैलपर का कार्य करता था, उसकी मृत्यु हो गयी थी। डंपर का नंबर मालूम न होने का कथन करता है। साक्षी घटना के संबंध में प्राथमिकी प्र0पी0 1, अकाल मृत्यु की सूचना प्र0पी0 2 बताकर उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। इस प्रकार से साक्षी मृतक अरुण की मृत्यु डंपर से पलट जाने से होने का कथन करते हैं।

7. प्रकरण में अजमेर अ0सा0 1 मृतक अरुण के मृत्यु जांच में उपस्थित होने का नोटिस प्र0पी0 4 बताकर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं तथा नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 5 पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी रामशंकर अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में मृतक अरुण का पड़ौसी होना बताते हैं और अरुण की मृत्यु मौ में पुलिया के पास होना बताते हैं। उसकी मृत्यु का कारण ट्रक जिसमें कि वह बैठा था, उसके पलटने के कारण होना बताते हैं। साक्षी पोस्टमार्टम के समय उसे बुलाए जाने का कथन करते हैं और मृत्यु जांच में उपस्थित होने के आवेदन (सफीना फार्म) प्र0पी0 4 में बी से बी एवं नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 5 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। जगदीश अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि मृतक अरुण उनके फूफा का लडका था जिसकी साक्ष्य से दो साल पहले डंपर से कुचल जाने से मृत्यु हो गयी थी। साक्षी प्र0पी0 4 व 5 पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए यह बताते हैं कि पुलिस ने उक्त दस्तावेज उनके समक्ष बनाए थे। इस प्रकार से उक्त सभी साक्षीगण अपने अभिसाक्ष्य में मृतक अरुण की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होने का कथन करते हुए प्र0पी0 4 व 5 के दस्तावेजों को प्रमाणित करते हैं।

8. अवनीश कुमार अ०सा० 4 दिनांक 02.12.13 को थाना मौ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए फरियादी की निशांदेही पर नक्शामौका प्र०पी० 3 बनाए जाने का कथन करते हुए मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन तथा नक्शा पंचायतनामा लाश का प्र०पी० 5 स्वयं तैयार करना बताते हैं जिस पर अपने बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में मृतक अरुण के मृत्यु होने के उपरांत की गयी कार्यवाही को प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से साक्षी क्र० 1 लगायत 4 को मृतक अरुण की मृत्यु के संबंध में कोई भी चुनौती नहीं देते हैं ऐसे में चुनौती के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 02.12.13 को मृतक अरुण की मृत्यु हुई थी।

9. डा० आर० विमलेश अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 02.12.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनके साथ डा० हरीश हाशवानी भी पदस्थ थे जिन्होंने मृतक अरुण पुत्र रमेश परिहार का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण करने में मृतक अरुण के शरीर के बाह्य तीन चोटें तथा आंतरिक परीक्षण में कपाल व मेरुदण्ड पर चोटें पाई थीं। डा० हाशवानी के मतानुसार मृतक की मृत्यु शरीर की चोटों से उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे से हुई थी व शव परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 9 के ए से ए भाग पर डा० हाशवानी के हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में डा० आर विमलेश की साक्ष्य डा० हरीश हाशवानी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन कारबार के सामान्य अनुक्रम में हस्ताक्षर व हस्तलिपि से परिचित व्यक्ति के रूप में होती है। इस साक्षी को भी प्रतिपरीक्षण में मृतक अरुण के सड़क दुर्घटना से भिन्न किसी प्रकार से मृत्यु कारित होने के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। ऐसे में साक्षी क्र० 1 लगायत 5 के साक्ष्य, प्र०पी० 1 लगायत 5 तथा प्र०पी० 9 के दस्तावेजी प्रमाण से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 02.12.13 को मृतक अरुण की मृत्यु सड़क दुर्घटना में सिर में चोट व अत्यधिक रक्तस्राव के कारण कारित हुई थी।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 का निष्कर्ष //

10. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी अजमेर अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे घटना दिनांक को डंफर में बैठकर मेहगांव जा रहे थे तभी मौ स्थान पर एक पुल पड़ता है जहां पर वह डंफर पलट गया था। साक्षी कथन करते हैं कि डंफर को बंटी नाम का व्यक्ति चला रहा था साथ ही यह भी कथन करते हैं कि और भी कोई नाम रहा हो तो उसे नहीं मालूम। अपने अभिसाक्ष्य में उक्त डंफर का नंबर याद न होना बताते हैं और डंफर के चलने की रीति के संबंध में साक्षी यह कथन करते हैं कि "गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि घटनास्थल पर मोड़ था और

ड्रायवर उसे कन्ट्रोल नहीं कर पाया था।" साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त ने डंफर को जानबूझकर नहीं पलटा था, बल्कि मौके पर मोड़ था एवं पानी भरा था इसलिए डंफर पलट गया था। यह भी स्वीकार करते हैं कि डंफर के चालक ने डंफर को पलटने की फुल कोशिश की थी लेकिन वह बच नहीं पाया था क्योंकि वह जगह ही ऐसी थी कि डंफर पलट गया। इस प्रकार से घटना का सर्वोत्तम साक्षी व चक्षुदर्शी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से अभिकथित डंफर को चलाए जाने के संबंध में कथन न करते हुए उसके विपरीत डंफर के चालक द्वारा उसे बचाने का प्रयास करने का कथन किया गया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को इस बिंदु पर पक्षद्रोही भी नहीं किया गया है। ऐसी दशा में साक्षी अजमेर अ०सा० 1 का अभिकथन अभियोजन पर बाध्यकारी है।

11. प्रकरण में अन्य साक्षी रमाशंकर अ०सा० 2, जगदीश अ०सा० 3, छोटे राजा अ०सा० 6 को भी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराया गया किन्तु उक्त सभी साक्षीगण घटना के संबंध में व अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। अभियोजन को उनकी साक्ष्य से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।

12. साक्षी अवनीश अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक को ही छोटा राजा गुर्जर से डंफर एम०पी० 07 जी०ए०-4194 जब्त किए जाने का कथन करते हैं। जब्ती पत्रक प्र०पी० 7 बनाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में अभियुक्त से अभिकथित जब्त वाहन जब्त भी नहीं किया गया है। छोटे राजा अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 02.12.13 को उनके डंफर पर कौन चालक था, याद नहीं है, यह स्वीकार करते हैं कि दिनांक 02.12.13 को रेस्टहाउस की पुलिया पर उनका डंफर पलट गया जिसमें क्लीनर अरुण की मृत्यु हो गयी। किन्तु अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में साक्षी समर्थन नहीं करते हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर दिनांक 02.12.13 को रोहेरा घाट से बजरी भरकर डंफर लाने का सुझाव दिया गया तो साक्षी ने इंकार किया। कथन प्र०पी० 10 का विनिर्दिष्ट भाग की ओर ध्यान दिलाने पर वैसा कथन पुलिस को देने से इंकार किया है। इस प्रकार से इस साक्षी के द्वारा भी अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

13. प्रकरण में यदि अजमेर अ०सा० 1 के अपुष्ट साक्ष्य को भी सत्य मान लिया जावे तो अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपन पूर्ण कृत्य के द्वारा मृत्यु कारित करने एवं अभियुक्त के उपेक्षा एवं उतावलेपन से अभिकथित डंफर को चलाए जाने के संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। संहिता की धारा 304 ए के अधीन उपबंधित है कि जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आता, वह दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपन पूर्ण रीति से मृतक अरुण की मृत्यु

कारित करने के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य न होकर उसके विपरीत स्वयं फरियादी अजमेर अ०सा० 1 का कथन ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 304 ए के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, संभावनाओं के आधार पर दाण्डिक न्यायालय को निष्कर्ष नहीं देना होता है।

14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकूल्य नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त भूरा के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.12.13 को रात 2:20 बजे रेस्ट हाउस पुलिया के पहले मोड़ पर डंफर क्रमांक एम०पी०-07 जी०ए०-4194 सार्वजनिक स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को पलट कर उसमें सवार अरुण की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। अतः अभियुक्त को धारा 279, 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त की जमानत निरस्त जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

16. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश